न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 258 / 2014 दायर दिनाँक 22.12.2014

वादी		प्रतिवादी
1. नानूराम पुत्र खेमाराम, उम्र–44साल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. सत्यनारायण पुत्र बेगराज, 2. भँवरीदेवी पत्नी सुवालाल, 3. बजरंगलाल पुत्र सुवालाल, नाबालिग जरिये भँवरीदेवी, 4. नाथूराम पुत्र भँवरलाल, 5. किशनीदेवी पत्नी भँवरलाल, 6. जगदीश पुत्र खेमाराम, 7. मूलचन्द पुत्र खेमाराम, 8. जयप्रकाश पुत्र खेमाराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. प्रबन्धक, दी नागौर सेन्ट्रर्ल कॉ–ऑपरेटिव बैंक, लिमिटेड, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. यूको बैंक, शाखा–छोटी बेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 136, L.R. Act.

उपस्थितः–

1. वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 06 व 08 उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 26.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में, वक्त वाद पेशगी के, इस प्रकार है कि, शरहद मोड़ियावट में खसरा नम्बर 404 रकबा 08.15 बीघा व खसरा नम्बर 405 रकबा 50.04 बीघा व खसरा नम्बर 407 रकबा 16.00

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 258 / 2014
दायर दिनाँक 22.12.2014, निर्णय दिनाँक 26.06.2018
नानूराम बनाम् सत्यनारायण, वगैरा।

बीघा भूमि अवस्थित है। शरहद दीनदारपुरा में खसरा नम्बर 13 रकबा 03.12 बीघा व खसरा नम्बर 14 रकबा 01.17 बीघा व खसरा नम्बर 15 रकबा 03.08 बीघा व खसरा नम्बर 16 रकबा 03.16 बीघा व खसरा नम्बर 30 रकबा 0.11 बीघा तथा खसरा नम्बर 31 रकबा 0.16 बीघा भूमि अवस्थित है।

वादग्रस्त उपर्युक्त खसरान् संयुक्त खातेदरी की भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम ''मनोहर पुत्र खेमाराम'' दर्ज है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् में वादी का नाम ''नानुराम पुत्र खेमाराम'' दर्ज है व इसी अनुसार वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जावे। यही अनुतोष वादी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी (दौ), भारत चुनाव द्वारा जारी पहचान–पत्र की सत्यापित छायाप्रति, ड्राईविंग लाइसेन्स की सत्यापित छायाप्रति, पासपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति, परिवार राशन–कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व लोक अदालत, कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा में प्रकरण पेश हुआ। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 06 व 08 उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। वादी वादग्रस्त भूमि का सहखातेदारान् है। प्रतिवादीगण की वाद में अनापत्ति होना उपस्थित पक्षकारान् द्वारा जाहिर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य वादी का अवलोकन किया गया। अनुतोष वादी पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 258/2014
दायर दिनाँक 22.12.2014, निर्णय दिनाँक 26.06.2018
नानूराम बनाम् सत्यनारायण, वगैरा।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम ''मनोहर'' को ''नानूराम'' दुरस्त किया जाना ठीक है।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादी सहखातेदार है मगर वादी का नाम ''मनोहर'' के बजाए ''नानुराम'' दुरस्त किया जाने में अन्य सहखातेदारान् को कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं है। ऐसी स्थित में, मजमें आम में प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्य वादी का अवलोकन करने के बाद वादग्रस्त भूमि शरहद मोड़ियावट में खसरा नम्बर 404 रकबा 08.15 बीघा व खसरा नम्बर 405 रकबा 50.04 बीघा व खसरा नम्बर 407 रकबा 16.00 बीघा भूमि अवस्थित है। शरहद दीनदारपुरा में खसरा नम्बर 13 रकबा 03.12 बीघा व खसरा नम्बर 14 रकबा 01.17 बीघा व खसरा नम्बर 15 रकबा 03.08 बीघा व खसरा नम्बर 16 रकबा 03.16 बीघा वखसरा नम्बर 30 रकबा 0.11 बीघा तथा खसरा नम्बर 31 रकबा 0.16 बीघा भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी का नाम ''मनोहर'' को ''नानूराम'' दुरस्त करते हुए, ''मनोहर पुत्र खेमाराम'' के स्थान पर ''नानूराम पुत्र खेमाराम'' दुरस्त किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन वाद, वादी के हक में डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 258/2014
दायर दिनाँक 22.12.2014, निर्णय दिनाँक 26.06.2018
नानूराम बनाम् सत्यनारायण, वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **मोड़ियावट** के खसरा नम्बर 404 रकबा 08.15 बीघा व खसरा नम्बर 405 रकबा 50.04 बीघा व खसरा नम्बर 407 रकबा 16.00 बीघा तथा शरहद **दीनदारपुरा** में खसरा नम्बर 13 रकबा 03.12 बीघा व खसरा नम्बर 14 रकबा 01.17 बीघा व खसरा नम्बर 15 रकबा 03.08 बीघा व खसरा नम्बर 16 रकबा 03.16 बीघा व खसरा नम्बर 30 रकबा 0.11 बीघा तथा खसरा नम्बर 31 रकबा 0.16 बीघा भूमियों के वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज वादी का नाम "मनोहर पुत्र खेमाराम" के स्थान पर "नानूराम पुत्र खेमाराम" दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय, आज दिनाँक **26.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **258/2014** दायर दिनाँक **22.12.2014**

वादी		प्रतिवादी
1. नानूराम पुत्र खेमाराम, उम्र–44साल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. सत्यनारायण पुत्र बेगराज, 2. भँवरीदेवी पत्नी सुवालाल, 3. बजरंगलाल पुत्र सुवालाल, नाबालिग जरिये भँवरीदेवी, 4. नाथूराम पुत्र भँवरलाल, 5. किशनीदेवी पत्नी भँवरलाल, 6. जगदीश पुत्र खेमाराम, 7. मूलचन्द पुत्र खेमाराम, 8. जयप्रकाश पुत्र खेमाराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. प्रबन्धक, दी नागौर सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक, लिमिटेड, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. यूको बैंक, शाखा–छोटी बेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 136, L.R. Act.

दिनाँक **26.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 06 व 08** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **मोड़ियावट** के खसरा नम्बर 404 रकबा 08.15 बीघा व खसरा नम्बर 405 रकबा 50.04 बीघा व खसरा नम्बर 407 रकबा 16.00 बीघा तथा शरहद दीनदारपुरा में खसरा नम्बर 13 रकबा 03.12 बीघा व खसरा नम्बर 14 रकबा 01.17 बीघा व खसरा नम्बर 15 रकबा 03.08 बीघा व खसरा नम्बर 16 रकबा 03.16

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

बीघा व खसरा नम्बर 30 रकबा 0.11 बीघा तथा खसरा नम्बर 31 रकबा 0.16 बीघा भूमियों के वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज वादी का नाम "मनोहर पुत्र खेमाराम" के स्थान पर "नानूराम पुत्र खेमाराम" दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.............
.......–....................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

Scanned by CamScanner